न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 242–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2012 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा सनावद, जिला खरगोन प्रकरण कमांक 7/अ–13/2011–12.

1– दुर्गाराम पिता पदमजी
2– लखन पिता कडवाजी
3– तारचंद पिता औंकारजी
निवासीगण ग्राम भु लगांव
तहसील बड़वाह जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– महेन्द्रसिंह पिता विकमसिंह
2– महाकुंवरबाई पति विकमसिंह
3– विकमसिंह पिता मोतीसिंह
निवासीगण ग्राम अम्बा
तहसील बड़वाह जिला खरगोन
4– उदयसिंह पिता मंगतूसिंह
5– भुवानसिंह पिता मंगतूसिंह
6– त्रिलोकसिंह पिता मंगतूसिंह
निवासीगण ग्राम भुलगांव
तहसील बड़वाह जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा सनावद, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदकगण द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा सनावद, जिला खरगोन द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई है । चूंकि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः न्याय हित में अपील को निगरानी में परिवर्तित कर प्रकरण का निराकरण किया

जा रहा है । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा सनावद के समक्ष आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किये गये रास्ते को खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–13/2011–12 दर्ज कर दिनांक 30–10–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किये गये प्रश्नाधीन रास्ते को खुलवाये जाने के आदेश दिये गये । अतिरिक्त तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के सूचना उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं होने से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगंण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखिता आधार उठाये गये हैं :–

(1) अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा साक्ष्य एवं प्रतिवेदन के विपरीत अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता देने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है

(3) तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से उभय पक्ष के मध्य झगड़ा होने की पूर्ण संभावना है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश बिना साक्ष्य के पारित किया जाता है ।

तर्कों के समर्थन में 1979 आर.एन. 255 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ते का चिन्ह मौके पर उपलब्ध होने, और उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाते हुए दिनांक 30–10–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर अवरूद्ध किये गये रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी

प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत नहीं होने के तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं । अतः इस स्तर पर तहसील न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा सनावद, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर